सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 05/2018 **दायर तारीख : 17.01.2018**

1. कलावती देवी पत्नि चौथमल जाति गुर्जर निवासी छापुडा कलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)। **——वादी**

बनाम

1. लीलाराम } पुत्रान घीसा जाति गुर्जर निवासी भाबरू तहसील विराटनगर
2. बाबूलाल } जिला जयपुर (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **—— प्रतिवादीगण**

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता वादी
श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांकः– 28.08.2019

1. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार रहे कि वाके ग्राम भाबरू के खसरा नंबर 1235/1/0.03, 1237/0.09 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर वादीया के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2068–2071 है। आराजी मुतनाजा को वादीया ने प्रतिवादीगण के पिता से जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी, जिसमें खसरा नंबर 1235/1/0.03 हैक्टेयर का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खसरा नंबर 1237/0.09 हैक्टेयर में हिस्सा 8/9 यानी 0.08 हैक्टेयर कुल 0.11 हैक्टेयर भूमि खरीदी थी। जिस पर वादिया खरीद समय से काबिज काश्त होकर उपभोग कर रही है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। बाहमी बंटवारा के अनुसार खसरा नंबर 1235/1 का सम्पूर्ण भाग एवं खसरा नंबर 1237 में हिस्सा 8/9 यानी 0.08 हैक्टेयर का उतरी भाग वादिया के हिस्से में एवं 1237 का हिस्सा 1/9 का दक्षिण डौल के सहारे–सहारे प्रतिवादीगण के हिस्से में बांटकर काश्त कर रहे है। [illegible] अपने बंटवारे में प्राप्त भूमि को काफी पैसा खर्चा करके काबिज काश्त योग्य बनाया है प्रतिवादीगण, वादीया को बंटवारा न करने के संबंध में धमकियां देती है, जिससे शामि[illegible] में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम भाबरू के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नंबर 1237 रकबा 0.09 में हिस्सा 8/9 हैक्टेयर का वादीया को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 431 संवत् 2068–2071, नक्शा ट्रेस पेश की है।
3. दावा बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित।
4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट भाबरू में पेश होने पर वादिया उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित है, अतः प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवायी जावें। बाद बहस मनन प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने की तहरीर जारी की गई।
5. तहसीलदार विराटनगर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई
6. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम भाबरू के खसरा नंबर 1235/1/0.03, 1237/0.09 हैक्टेयर वादीया के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2068–2071 है। आराजी मुतनाजा को वादीया ने प्रतिवादीगण के पिता से जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी, जिसमें खसरा नंबर 1235/1/0.03 हैक्टेयर का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खसरा नंबर 1237/0.09 हैक्टेयर में हिस्सा 8/9 यानी 0.08 हैक्टेयर कुल 0.11 हैक्टेयर भूमि खरीदी थी। जिस पर वादिया खरीद समय से काबिज काश्त होकर उपभोग कर रही है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। बाहमी बंटवारा के अनुसार खसरा नंबर 1235/1 का सम्पूर्ण भाग एवं खसरा नंबर 1237 में हिस्सा 8/9 यानी 0.08 हैक्टेयर का उतरी भाग वादिया के हिस्से में एवं 1237 का हिस्सा 1/9 का दक्षिण डौल के सहारे–सहारे प्रतिवादीगण के हिस्से में बांटकर काश्त कर रहे है। वादी अपने बंटवारे में प्राप्त भूमि को काफी पैसा खर्चा करके काबिज काश्त योग्य बनाया है प्रतिवादीगण, वादीया को बंटवारा न करने के संबंध में धमकियां देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता वादीया ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

8. वादीया ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीया का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	कलावती देवी पत्नि चौथमल जाति गुर्जर सा. छापुडा कलां खातेदार	1237/0.08 हैक्टेयर
2	लालाराम, बाबूलाल पिता घीसा कौम गुर्जर सा. देह	1237/1/0.01 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकरी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :— राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस.

1. कलावती देवी पत्नि चौथमल जाति गुर्जर निवासी छापुडा कलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)। **——वादी**

बनाम

1. लीलाराम } पुत्रान घीसा जाति गुर्जर निवासी भाबरू तहसील विराटनगर
2. बाबूलाल } जिला जयपुर (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **—— प्रतिवादीगण**

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 05/2018 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री धनश्याम गुर्जर** व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रूबरू, **श्री आंनद सिंह शेखावत प्रतिवादीगण** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि ग्राम भाबरू के खसरा नंबर 1237 रकबा 0.09 में हिस्सा 8/9 हैक्टेयर का वादीया को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

सुना गया। प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	कलावती देवी पत्नि चौथमल जाति गुर्जर सा. छापुडा कलां खातेदार	1237/0.08 हैक्टेयर
2	लालाराम, बाबूलाल पुत्रान घीसा जाति गुर्जर सा. देह	1237/1/0.01 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 28.08.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.08.2019 को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:22 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर